



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 675

**30 Shrawan, 1941(S)
Ranchi, Wednesday, 21st August, 2019**

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

**Notification
21st August, 2019**

Notification No. 30/2019 – State Tax

S.O. No. 68 Dated- 21st August, 2019-- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as “the said Act”), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies the persons registered under section 24 of the said Act read with rule 14 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter referred to as “the said rules”), supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below.

2. The said persons shall not be required to furnish an annual return in **FORM GSTR-9** under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the said rules.

3. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in **FORMGSTR-9C** under sub-section (2) of section 44 of the said Act read with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules.

4. This notification shall be deemed to be effective from 28th June, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 01/ 2019]
By the order of the Governor of Jharkhand

Prashant Kumar,
Secretary-cum-Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 अगस्त, 2019

अधिसूचना सं०. 30/2019- राज्य कर

एस. ओ. सं.68 दिनांक 21 अगस्त, 2019-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 14 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुँच या पुनः प्राप्ति सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति उक्त नियम के नियम 80 के उप-नियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-9 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।

3. उक्त व्यक्ति उक्त नियम के नियम 80 के उप-नियम (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-9 में समाधान विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।

4. यह अधिसूचना 28 जून, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वांकर/जी०एस०टी०/01/2019]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव-सह-आयुक्त